

06.01.2022


पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राजस्व/तहसीलदार स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद तामील नोटिस उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी के पिता चतरया पुत्र भूरया राणा निवासी खाटकलां के पक्ष में ग्राम खाटकलां के साबिक ख0न0 11 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 30.7.1974 को किया था किन्तु उक्त आवंटन न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में प्रस्तुत निगरानी संख्या 54/1991 उनवानी सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर बनाम चतरया पुत्र भूरया राणा निवासी खाटकलां तहसील सवाईमाधोपुर दिनांक 11.01.1991 को स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 30.7.1974 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश निगरानी संख्या 54/1991 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.1991 से खारिज हो जाने के कारण उक्त आवंटन आदेश वर्तमान में प्रभावी नहीं है।


उक्त संबंध में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त निगरानी प्रस्तुत करते समय आवंटन आदेश की प्रमाणित छायाप्रति निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं होने के कारण उक्त आवंटन आदेश 30.7.1974 पूर्व में खारिज हो जाने की जानकारी मुझे नहीं मिल सकी।

तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर यह पाया गया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 11.1.1991 को पारित निर्णय में उक्त आवंटन आदेश दिनांक 30.7.1974 खारिज किया जा चुका है। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय की पालना 1991 में करनी चाहिए थी जो नहीं की जाकर भारी भूल की है किन्तु वर्तमान तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा भी निगरानी प्रार्थना पत्र एवं आवंटन आदेश के साथ संलग्न निर्णय दिनांक 11.1.1991 की प्रति का बिना अवलोकन किये ही उक्त निर्णय/आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए विवादित भूमि को सिवायचक कर राज्य सरकार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की बजाय आवंटन नियम, 1970 की धारा 14(4) के तहत इस न्यायालय में पुनः निगरानी प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्वयं द्वारा निर्णय दिनांक 11.1.1991 की प्रति संलग्न करवाकर निगरानी प्रस्तुत करके तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करते हुए बिना रिकार्ड का अवलोकन किये गलत तरीके से न्यायालय हाजा में निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) रेस ज्यूडीकेटा की श्रेणी में होने के कारण खारिज किया जाता है। एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय दिनांक 11.1.1991 के विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नहीं हो एवं किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उक्त निर्णय दिनांक 11.1.1991 की पालना सुनिश्चित करते हुए साबिक ख0न0 11 रकबा 01 बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज किया जावे।

तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी उक्त लापरवाही के संबंध में कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति संस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा को तथा राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद  दाखिल अभिलेख की जावे। निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर